R.M.M. Law College Saharsa
Narushji Anand
LL.B. Part – II
Paper – VIth
Environmental Law

न्यायालय की सरकारी नीति अवैधकरणीय अभिक.
Court as negator of Government Policy:-

न्यायालयों ने आरक्षित वन क्षेत्र में खनन कार्यों की अनुमति अथवा आवासीय क्षेत्रों में उद्योगों को लगाने की सरकार की अनुमति को अवैध घोषित किया है। तरुण भारत सिंह बनाम भारत संघ के मामले में एक लोकहित वाद दायर किया गया कि राजस्थान सरकार अधिसूचना एवं घोषणा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के नाम में खान - पर्यावरण के ह्रास की अनुमति दे रही थी। सरकार आरक्षित वन" क्षेत्र में खनन क्रिया की अनुमति दे रही थी। लोकहित वाद में वन्य जीव संरक्षण और 'सरिस्का प्राकृतिक वन' परिरक्षण की प्रार्थना की गयी। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 'सुरक्षित वन' क्षेत्र में खनन क्रिया की प्राधिकृत प्राकृतिक पर्यावरण के ह्रास की अनुमति न दे। के० वी० सँमुगम बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में मद्रास सरकार के 'आरक्षित वन क्षेत्र' में इस विशेष शर्त के साथ खनन पट्टा की अनुमति इस शर्त

Scanned with CamScanner

पर दिया कि खनन - चालन केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रारम्भ किया जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञप्ति गैर-वन गतिविधियों के लिए आवश्यक है।

लक्ष्मीपति बनाम कर्नाटक राज्य के वाद में कर्नाटक सरकार ने आवासीय क्षेत्र के लिए चिन्हांकित क्षेत्र में कारखानों, कार्यशालाओं, केमिकल्स शेड्स, ज्वलनशील उत्पादों आदि की अनुमति प्रदान किया गया। इसकी विधि मान्यता को चुनौती इस आधार पर दी गयी कि यह आदेश कर्नाटक टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग एक्ट 1961 के उल्लंघन में किया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इन लाइसेंसों, अनुमतियों और सर्टिफिकेटों को अवैधानिक, शून्य और संविधान के अनुच्छेद 21 के विरुद्ध घोषित किया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीने के अधिकार का तात्पर्य गुणवत्तायुक्त जीवन से है जो केवल गुणवत्तायुक्त पर्यावरण में ही संभव हो सकता है। जहाँ मानव अभिकरणों के कारण वायु और पर्यावरण की गुणवत्ता को खतरा उत्पन्न हो रहा है वहीं न्यायालय

लोक हित वृद्धि के लिए पत्राचार अधिकारिता के अंतर्गत नयी नयी युक्ति का प्रयोग कर जीवन के अधिकार को संरक्षित करने में हिचकिचाहट नहीं महसूस करेगा। न्यायालय ने चेतावनी दी कि जब प्रशासक अपनी रास्ते नहीं बदलते तो न्यायालय सामाजिक उथल पुथल का युद्ध स्थल बन जाता है और यदि प्रशासक दायित्व के सिद्धांत के प्रति अनिर्वचनीय हीनता प्रकट करते हैं तो प्रस्तावित अधिनियम मृत शब्द हो जाते हैं और लोकहित को गंभीर क्षति होती है।

बंगलौर मेडिकल ट्रस्ट बनाम मुदप्पा के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री के निर्देश के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा लोक उद्यान स्थल को नर्सिंग होम में बदलने को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पार्क सौन्दर्य और मनोरंजन का स्थान है। पर्यावरण और प्रदूषण के दृष्टिकोण से इसका अत्यंत महत्व है। उद्यान के समाप्त करने से जो क्षति होगी उसे नर्सिंग होम बनवाने से पूरा नहीं किया जा सकता।

डी० डी० व्यास बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जहाँ कोई क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत लोक उद्यान के लिए चिन्हांकित किया गया है वहाँ विकास प्राधिकारी उसके विकसित करने को नजरअंदाज

नहीं कर सकते। निजाम बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विकास योजना के अंतर्गत उद्यान, बगीचा, लान इत्यादि के लिए खुला छोड़े गये स्थान को स्कूल स्थापित करने के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता। विरेन्द्र गौर बनाम हरियाना राज्य के मामले में एक भूमि टाउन प्लेनिंग स्कीम के अंतर्गत पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य पर्यावरण को कायम रखने के लिए सार्वजनिक प्रयोग हेतु खुली छोड़ दी गयी थी। लेकिन सरकार ने एक प्राइवेट पार्टी पंजाब समाज सभा को धर्मशाला निर्माण हेतु पट्टा मंजूर कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि म्युनिसपैलिटी आदेश के चार सप्ताह के अंदर निर्माण को ध्वस्त कर दे और न्यायालय को सूचित करे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भूमि म्युनिसपैलिटी में निहित थी अतः सरकार को भूमि का पट्टा मंजूर करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी। डॉ० जी० एन० खजुरिया बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाद में एक आवासीय कालोनी में पार्क हेतु भूमि आरक्षित की गई थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस भूमि को एक प्राइवेट पार्टी को नर्सरी स्कूल निर्माण हेतु आवंटित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने आवंटन को शक्ति का दुरुपयोग मानते हुए

असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने आवेदन को निरस्त कर दिया और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया। यही नहीं न्यायालय ने लोक अधिकारियों के ऊपर अवैधानिक कार्यवाही के लिए लोक दायित्व निर्धारित करने का आदेश पारित किया।